उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-10/3441/30-3-13-12जीई/2011
लखनऊ, दिनॉक 11 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 04-05-2010 सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 22-12-2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर एतदर्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनॉक 01-11-2013 में की गयी संस्तुति एवं इस सन्दर्भ में परिवहन आयुक्त के पत्रांक-4573ई/2013-42ई/या0/2013, दिनॉक 06-11-2013 में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री रमेश चन्द्र कालरा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सेवानिवृत्त), जिनकी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि 28-05-1999 है, को इस पद पर 10 वर्ष की नियमित/संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त दिनॉक 28-05-2009 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 6600/- अनुमन्य कराये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0
बी0एस0 भुल्लर,
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/3441(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in